निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 683) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जून 2015

सं0 6/खा0 म0 पटना (नीति)–01/2015–614 (6)/रा0

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

17 जून 2015

विषय :–भूमिहीन महादलित परिवारों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 05 (पांच) डिसमिल गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।

भूमिहीन महादलित परिवारों के वास हेतु विभागीय परिपत्र सं0–6/खा0 म0 नीति–02/2009–03 (6)/रा0 पटना दिनांक 05.01.2010 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 03 डिसमिल प्रति परिवार गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती निःशुल्क किए जाने का प्रावधान किया गया था। तद्नुसार उक्त बन्दोबस्ती की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त में निहित है।

2. इसी प्रकार अन्य सुयोग्य श्रेणी, यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–II के भूमिहीन परिवारों को वास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 03 (तीन) डिसमिल सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती विभागीय परिपत्र सं0–6/खा0 म0 नीति–03/2009–1263 (6)/रा0 पटना दिनांक 10.12.2009 के द्वारा निःशुल्क किए जाने का प्रावधान किया गया था। तद्नुसार वर्त्तमान में उक्त बन्दोबस्ती की शक्ति भूमि की प्रकृति गैर मजरूआ मालिक होने की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी तथा गैर मजरूआ आम होने की स्थिति में सरकार में निहित है।

3. वर्त्तमान में विभागीय संकल्प सं0–8/नियम संशोधन–07–10/2014–153 (8)/रा0 दिनांक 09.02.2015 द्वारा राज्य के सभी सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति, 2015 विनिश्चित की गयी है। इस नीति के द्वारा बिहार महादलित विकास योजना रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 एवं बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 में संशोधन करते हुए राज्य के वास रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु वर्त्तमान में 03 डिसमिल की नीति में परिवर्त्तन कर 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा 20 परिवारों को कलस्टर में बसाने के संदर्भ में वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल जमीन अतिरिक्त आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान करने का संकल्प लिया गया है। यह भूमि गैर मजरूआ आम/गैर मजरूआ मालिक हो सकती है, किन्तु इस श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने की दशा में एम0 भी0 आर0 दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।

4. वर्त्तमान में भूमिहीन महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती क्रमशः प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सरकार के स्तर से की जाती है, जो एक समय साध्य प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया का सरलीकरण एवं एकरूपता के दृष्टिकोण से विषयगत विभागीय परिपत्रों में आंशिक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी।

5. तद्नुसार सरकार ने भूमिहीन महादलित परिवारों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 05 (पांच) डिसमिल गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती की प्रकिया का सरलीकरण करते हुए उक्त बंदोबस्ती की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव प्रसंगाधीन सभी विभागीय परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जाएगें एवं शेष प्रावधान यथावत रहेगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 683-571+1500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in